

भारत सरकार  
नागर विमानन मंत्रालय  
लोक सभा  
लिखित प्रश्न संख्या: 3366

गुरुवार, 20 मार्च, 2025 (29 फाल्गुन, 1946 (शक)) को दिया जाने वाला उत्तर

विमानपत्तनों को 'प्वाइंट ऑफ कॉल' का दर्जा

3366. श्री मनीष तिवारी:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) द्विपक्षीय हवाई सेवा समझौतों (बीएएसए) के तहत अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों के लिए एक विमानपत्तन को 'प्वाइंट ऑफ कॉल' (पीओसी) के रूप में नामित करने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;
- (ख) देश में विदेशी एयरलाइनों के लिए द्विपक्षीय प्रस्ताव सूची के तहत वर्तमान में पीओसी के रूप में नामित सभी विमानपत्तनों का व्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि चंडीगढ़ में शहीद-ए-आजम भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की एक बड़ी आबादी को सेवा प्रदान करता है, जो कामकाज और पर्यटन दोनों प्रयोजनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की सुविधा प्रदान करता है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
- (घ) उत्तर विमानपत्तन को इसके सामरिक महत्व के बावजूद पीओसी के रूप में नामित नहीं करने के क्या कारण हैं;
- (ङ) क्या सरकार को चंडीगढ़ में शहीद-ए-आजम भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन को पीओसी के रूप में शामिल करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, और
- (च) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और इसे कब तक पीओसी के रूप में नामित किए जाने की संभावना है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

- (क) और (ख): विदेशों के नामित विमानन वाहकों को प्वाइंट ऑफ कॉल (पीओसी) प्रदान करना एक सतत प्रक्रिया है और यह भारत एवं विदेशों के बीच हवाई सेवाओं के संबंध में समय-समय पर हस्ताक्षरित द्विपक्षीय समझौतों के माध्यम से किया जाता है। विदेशों के नामित विमानन वाहकों को पीओसी प्रदान करना कई कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें भारतीय विमानन क्षेत्र को होने वाले लाभ, उस देश में भारतीय प्रवासियों की उपस्थिति, भारतीय विमानन वाहकों की योजनाएं, पारस्परिकता के पहलू, लाभों का संतुलन तथा दो देशों के बीच अन्य प्रासंगिक कारक शामिल हैं। हवाई सेवा समझौतों में, अहमदाबाद, अमृतसर, औरंगाबाद,

बागडोगरा, बैंगलोर, भुवनेश्वर, कालीकट, चेन्नई, कोचीन, कोयंबूर, देहरादून, दिल्ली, गया, गोवा, गोरखपुर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, खजुराहो, कोलकाता, लखनऊ, मदुरै, मुंबई, नागपुर, पटना, पोर्ट ब्लेयर, पुणे, तिरुवनंतपुरम, तिरुचिरापल्ली, वाराणसी और विशाखापत्तनम को प्वाइंट ऑफ कॉल के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(ग) इस संबंध में नागर विमानन मंत्रालय द्वारा कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, चंडीगढ़ हवाईअड्डे सहित प्रत्येक हवाईअड्डा आस-पास के क्षेत्र में अवस्थित जनसाधारण को सेवा प्रदान करता है।

(घ) से (च): चंडीगढ़ को प्वाइंट ऑफ कॉल के रूप में नामित किए जाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। तथापि, वर्तमान में, भारत सरकार भारतीय वाहकों द्वारा गैर-मेट्रो स्थलों से सीधे या उनके स्वयं के घरेलू परिचालन के माध्यम से अधिक अंतरराष्ट्रीय परिचालनों को बढ़ावा दे रही है। तदनुसार, हवाई सेवा समझौते (एएसए) में किसी भी विदेशी वाहक को चंडीगढ़ सहित कोई भी नया गैर-मेट्रो स्थल, पीओसी के रूप में नहीं दिया जा रहा है।

\*\*\*\*\*